

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 104 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

उमा उर्फ राणाराम पुत्र मोटाराम  
जाति जाट निवासी ढेलाणी नाडी  
तहसील गुड़ामालानी।

बनाम 1.खेताराम पुत्र चैनाराम  
2.मूलाराम पुत्र चैनाराम  
3.मूमल पत्नी चैनाराम  
4.थानाराम पुत्र खेताराम जाति  
जाट निवासी गोदारो की बेरी  
तहसील सिणधरी  
5.तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 105 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

उमा उर्फ राणाराम पुत्र मोटाराम  
जाति जाट निवासी ढेलाणी नाडी  
तहसील गुड़ामालानी।

बनाम 1.खेताराम पुत्र चैनाराम  
2.मूलाराम पुत्र चैनाराम  
3.मूमो पत्नी चैनाराम  
4.थानाराम पुत्र खेताराम जाति  
जाट निवासी गोदारो की बेरी  
तहसील सिणधरी  
5.तहसीलदार गुड़ामालानी।



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 82/2013 बअनवान खेताराम बनाम उमा उर्फ राणाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2013 व 08.10.2013 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 व 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 14.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत व उतरदातागण एक परिवार से है जो पूर्व पुरुष कोहला के वारिस है, जिनके चार पुत्र अपीलांत के पिता, उतरदाता संख्या 01 से 03 के पिता-पति चैनाराम, करनाराम व पेमाराम थे। जिसकी पुश्तैनी संयुक्त हक व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 227 रकबा 40.03 बीघा मौजा जूनी उन्दरी में, खसरा संख्या 643 रकबा 31.02 बीघा ढेलाणीनाडी


राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

में खसरा संख्या 128 रकबा 67.09 बीघा ग्राम खुण्डाला तहसील गुडामालानी में तथा खसरा संख्या 47, 48 व 48/2 कुल रकबा 69.14 बीघा ग्राम आसुओं की ढाणी तहसील सिणघरी में अवस्थित है। उतरदाता संख्या 01 से 04 के द्वारा अपीलांट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा खुडाला पटवार सर्किल खुडाला तहसील गुडामालानी में वादीगण/उतरदाता संख्या 01 से 04 एवं प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 01 के पूर्वज के समय से संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 128 रकबा 67.09 बीघा का आया हुआ है। जिसमें वादी संख्या 01 से 03 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा व अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा है। वादी/रेस्पोंडेंटगण का संयुक्त 2/3 हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन बंटवारा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 21.06.2013 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को सूचना नहीं दी गई तथा न ही अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपति करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पेश आलोच्य विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के खिलोफ़ काबिल निरस्त योग्य है।



पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 21.06.2013 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को सूचना नहीं दी गई तथा न ही अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपति करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पेश आलोच्य विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई जो

  
राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय  
जाइमेर

प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि की मंशा के विपरित है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपील की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के नाम जारी सम्मन अपीलांत स्वयं से विधिवत तामील है। तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो नियमानुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांत की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांत ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांत को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री जारी की गई। अभी वर्षात का समय होने के कारण हर साल की भांती अपीलांत अपीलाधीन आराजी पर काशत करने से मना किया गया तथा तब उतरदातागण द्वारा अपीलांत को कथन किया गया कि उक्त भूमि कोर्ट के फैसले से उसके नाम हो गई है इस कारण काशत नहीं कर सकते। तब अपीलांत के द्वारा उसी दिन दिनांक 02.08.2018 को नकल मांगी गई जो दिनांक 08.08.2018 को तैयार होकर प्राप्त हुई। सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांत/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं। अपील करीब 06 वर्ष बाद पेश की गई है। इतनी सुदीर्घ अवधि का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी का प्रत्येक दिन का विवरण देना होता है। अपीलांत की अपील मियाद बाहर पेश है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण



राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट को सम्मन तामीली हो जाने और उसकी अनुपस्थिति होने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.05.2013 के अनुसार एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गए। इसलिए अपीलांट का अपील में यह कथन स्वीकार्य नहीं है कि उसे वाद की कोई सूचना नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2013 जारी करते हुए उभयपक्ष के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के मुताबिक 1/3-1/3 हिस्सों की घोषणा करते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क तय कर विभाजन प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 31.08.2013 को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जो पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 31.08.2013 मय बरंग नक्शा से प्रमाणित है मुताबिक मौका रिपोर्ट उभयपक्ष को सूचना देकर बुलाया गया एवं पड़ौसियों के रूबरू मौका निरीक्षण किया गया। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि प्रतिवादी/अपीलांट उमा उर्फ राणा मौके पर सूचना के उपरांत भी नहीं आया। इस विभाजन प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।



अतः अपील अपीलांट तथ्यों से परे होने के कारण अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 82/2013 बअनवान खेताराम बनाम उमा उर्फ राणाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2013 व 08.10.2013 को यथावत रखा जाता है।

*[Signature]*  
14/5/19  
(नखतदान बरिहठ)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*[Signature]*  
14/5/19  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर